प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट**ः** www.rbi.org.in/hindi Website : www.rbi.org.in ई-मेल/email : <u>helpdoc@rbi.org.in</u> संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,

Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

31 जनवरी 2024

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – दिसंबर 2023

दिसंबर 2023¹ महीने के लिए 41 चुर्निंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, <u>विवरण I और II</u> में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण² में दिसंबर 2023³ में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 15.3 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण³ के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

- दिसंबर 2023 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में 19.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबिक एक वर्ष पहले यह 11.6 प्रतिशत थी।
- उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण दिसंबर 2022 में 8.6 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2023 में 8.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की दर से बढ़ा। प्रमुख उद्योगों में, 'खाद्य प्रसंस्करण' और 'कपड़ा' के लिए ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दिसंबर 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ी, जबिक 'बुनियादी धातु और धातु उत्पाद, 'रसायन और रासायनिक उत्पाद' और 'बुनियादी ढांचे' की ऋण वृद्धि में गिरावट आई।
- दिसंबर 2023 में सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण बढ़कर 19.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गया, जबिक एक वर्ष पहले यह 19.4 प्रतिशत था। प्रमुख योगदानकर्ताओं में, दिसंबर 2023 में 'व्यापार' के लिए ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) में सुधार हुआ, जबिक 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)' को प्रदत्त ऋण में गिरावट आई।
- आवास और वाहनों के लिए ऋण वृद्धि में कमी आने के कारण दिसंबर 2023 में वैयक्तिक ऋण वृद्धि
 धीमी होकर 17.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई (एक वर्ष पहले 20.4 प्रतिशत)।

अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1773

¹ आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

² खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा – 42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।

³ किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।